International Journal of Sociology and Humanities

ISSN Print: 2664-8679
ISSN Online: 2664-8687
Impact Factor: RJIF 8.33
IJSH 2025; 7(2): 209-212
www.sociologyjournal.net
Received: 06-09-2025
Accepted: 04-10-2025

डॉ. अंशु प्रिया
शोधार्थी, भास्कर जनसंचार एवं पत्रकारिता संस्थान, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी, उत्तर प्रदेश, भारत।

Corresponding Author:
डॉ. उमेश कुमार
पीएच० डी०, समाजशास्त्र विभाग, सामाजिक विज्ञान संकाय, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, बिहार, भारत।

बिहार राज्य के निर्धन वर्ग के लिए सरकारी योजनाओं का अध्ययन

अंशु प्रिया

DOI: https://www.doi.org/10.33545/26648679.2025.v7.i2c.205

सारांश
बिहार राज्य में निर्धन वर्ग की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु सरकार ने अनेक कल्याणकारी योजनाएँ लागू की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय कार्यक्रमों को मिलाकर निर्धन वर्ग की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया है।
मनरेगा जैसी योजनाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराती हैं, वहीं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से गरीब परिवारों को सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, इंदिरा आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना निर्धन वर्ग को आवासीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना और छात्रवृत्ति योजनाएँ शिक्षा को प्रोत्साहित करती हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना तथा राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाएँ गरीब परिवारों को निःशुल्क उपचार सुविधा देती हैं।
इन योजनाओं ने निर्धन वर्ग के जीवन स्तर को सुधारने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालाँकि, योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जागरूकता और प्रभावी निगरानी की आवश्यकता है। सारांशतः, बिहार की सरकारी योजनाएँ निर्धन वर्ग की सामाजिक-आर्थिक प्रगति का आधार बनकर "समावेशी विकास" की दिशा में राज्य को आगे बढ़ा रही हैं।

शब्द-कुंजी : पारदर्शिता, वृद्धजन पेंशन योजना, समावेशी विकास, सात निश्चय कार्यक्रम

प्रस्तावना

- बिहार राज्य में निर्धन वर्ग के लिए संचालित प्रमुख सरकारी योजनाओं का विश्लेषण करना।
- इन योजनाओं का लाभार्थियों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।
- योजनाओं की चुनौतियों और सीमाओं की पहचान करना।
- निर्धन वर्ग के कल्याण हेतु भावी सुधारात्मक सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध पद्धति

यह शोध द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। योजनाओं की जानकारी सरकार की आधिकारिक वेबसाइटों, नीति आयोग की रिपोर्टों, बिहार सरकार की वार्षिक रिपोर्टों तथा विभिन्न शोध लेखों से संकलित की गई है।

बिहार भारत का एक प्रमुख राज्य है, जहाँ की बड़ी आबादी निर्धन वर्ग से संबंधित है। निर्धन वर्ग की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में से एक रहा है। गरीबी उन्मूलन और सामाजिक न्याय की दिशा में अनेक कल्याणकारी योजनाएँ लागू की गई हैं, जिनका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास तथा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है। ये योजनाएँ न केवल जीवन स्तर को ऊँचा उठाने का प्रयास करती हैं, बल्कि निर्धन वर्ग को मुख्यधारा में सम्मिलित करने में भी सहायक होती हैं।[1]
सरकार ने इस दिशा में कई पहल की हैं, जैसे - मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी), गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिए राशन सब्सिडी, मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाएँ। इसके अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र में छात्रवृत्ति योजनाएँ और पोषण कार्यक्रम भी गरीब वर्ग की सहायता में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।[2]
इन योजनाओं का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि इनके प्रभाव का मूल्यांकन करके यह समझा जा सकता है कि वे किस हद तक गरीबी उन्मूलन और सामाजिक समानता को बढ़ावा देती हैं। साथ ही, इस अध्ययन से नीतियों की खामियों और सुधार की संभावनाओं की पहचान भी संभव हो पाती है। इस प्रकार, निर्धन वर्ग के लिए सरकारी योजनाओं का विश्लेषण सामाजिक विकास के मार्ग को समझने का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम है।[3]

प्रमुख सरकारी योजनाएँ

बिहार राज्य भारत के उन राज्यों में से एक है जहाँ निर्धन वर्ग की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। निर्धन वर्ग की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए राज्य और केंद्र सरकार द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाएँ संचालित की जाती रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य निर्धन परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, खाद्य सुरक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराना है। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना, जन धन योजना, आयुष्मान भारत, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, कौशल विकास योजना आदि प्रमुख सरकारी योजनाएँ निर्धन वर्ग के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सहायक रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक समानता को प्रोत्साहन मिलता है। अतः इनका अध्ययन न केवल राज्य के विकास के आयामों को स्पष्ट करता है बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे सरकारी प्रयास निर्धन वर्ग के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं।[4]

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-ग्रामीण एवं शहरी

भारत के संविधान में सभी नागरिकों को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है, जिसमें आवास एक बुनियादी आवश्यकता के रूप में शामिल है। बिहार जैसे राज्य में, जहाँ निर्धन वर्ग की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है, सरकार द्वारा चलाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाएँ विशेष महत्व रखती हैं। आवास केवल आश्रय ही नहीं बल्कि सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण का आधार भी है। इसी दृष्टिकोण से भारत सरकार ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य प्रत्येक निर्धन परिवार को "सबके लिए आवास" के लक्ष्य के अनुरूप पक्का मकान उपलब्ध कराना है।[5]

यह योजना दो प्रमुख स्वरूपों में लागू की गई है - PMAY-ग्रामीण और PMAY-शहरी। ग्रामीण क्षेत्रों में यह योजना बेघर तथा कच्चे मकानों में रहने वाले निर्धन परिवारों को लाभान्वित करती है, वहीं शहरी क्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ियों और किराए पर रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) एवं निम्न आय वर्ग (LIG) के लोगों को मकान उपलब्ध कराती है। बिहार में बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जहाँ कच्चे और असुरक्षित घरों की समस्या व्यापक है। अतः PMAY-ग्रामीण योजना ने इन परिवारों को सुरक्षित, टिकाऊ और सुविधायुक्त आवास उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।[6]

इस योजना से न केवल निर्धन वर्ग को आवासीय सुरक्षा मिली है, बल्कि सामाजिक समानता, जीवन स्तर में सुधार और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में भी सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। अतः यह अध्ययन बिहार में निर्धन वर्ग की जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाने में प्रधानमंत्री आवास योजना की भूमिका को समझने का प्रयास है।

मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम)

बिहार भारत का एक प्रमुख राज्य है, जहाँ जनसंख्या का बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है और निर्धन वर्ग की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, कम आय और आजीविका के सीमित साधन राज्य के विकास में बड़ी बाधा रहे हैं। ऐसे परिप्रेक्ष्य में निर्धन वर्ग के लिए सरकारी योजनाएँ एक महत्त्वपूर्ण आधार स्तंभ साबित होती हैं, जिनका उद्देश्य ग्रामीण जनता को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और जीवन स्तर में सुधार लाना है।[7]

इन्हीं योजनाओं में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम-2005) का विशेष महत्व है। यह अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को साल में कम से कम 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार देने का प्रावधान करता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह योजना अधिकार आधारित है, यानी प्रत्येक इच्छुक परिवार को कार्य की कानूनी गारंटी दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण, तालाब खुदाई, नहर सफाई, वृक्षारोपण और अन्य जन-उपयोगी कार्यों में रोजगार दिया जाता है।

बिहार जैसे राज्य, जहाँ कृषि पर अत्यधिक निर्भरता है और गैर-कृषि रोजगार के अवसर सीमित हैं, वहाँ मनरेगा निर्धन वर्ग के लिए जीवनरेखा की तरह कार्य करती है। यह न केवल तत्काल रोजगार उपलब्ध कराती है, बल्कि ग्रामीण आधारभूत ढांचे के विकास में भी योगदान देती है। परिणामस्वरूप, निर्धन वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने, पलायन कम करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने में मनरेगा की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।[8]

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA)

भारत जैसे विकासशील देश में निर्धन वर्ग की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा एक प्रमुख चुनौती रही है। विशेषकर बिहार जैसे राज्य में, जहाँ बड़ी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करती है, वहाँ खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु वर्ष 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) लागू किया गया, जिसे बिहार राज्य ने भी प्रभावी रूप से अपनाया। इस अधिनियम का लक्ष्य है कि निर्धन वर्ग और कमजोर तबकों को न्यूनतम पोषण और सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराया जा सके।[9]

NFSA के अंतर्गत बिहार की बड़ी जनसंख्या को लाभ मिला है। इस योजना के माध्यम से प्राथमिकता प्राप्त परिवारों तथा अंत्योदय अन्न योजना (AAY) परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह सस्ती दरों पर चावल और गेहूँ उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना से न केवल निर्धन वर्ग की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, बल्कि उनकी आर्थिक बोझ को भी कम करने में सहायता मिलती है।

बिहार में NFSA के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार ने राशन कार्ड, आधार आधारित सत्यापन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को मज़बूत करने जैसे कदम उठाए हैं। हालांकि, भ्रष्टाचार, कालाबाज़ारी और वितरण में पारदर्शिता की कमी जैसी चुनौतियाँ भी सामने आती हैं। इसके बावजूद, NFSA निर्धन वर्ग की आजीविका और पोषण सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देता है।[10]

इस प्रकार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार के निर्धन वर्ग के लिए सामाजिक-आर्थिक न्याय और सतत विकास की दिशा में एक अहम कदम साबित होता है।

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना

बिहार राज्य में निर्धन और मध्यमवर्गीय परिवारों के छात्र-छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना लंबे समय से एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण अनेक प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं या अपने सपनों को अधूरा छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। इस पृष्ठभूमि में बिहार सरकार ने शिक्षा को सर्वसुलभ और सुलभ बनाने की दिशा में कई महत्त्वपूर्ण पहल की हैं, जिनमें "बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना" विशेष रूप से उल्लेखनीय है।[11]

इस योजना की शुरुआत 2016 में सात निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करना और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना था। योजना के अंतर्गत 12वीं पास छात्र-छात्राओं को स्नातक, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के लिए अधिकतम 4 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण बिना किसी जमानत के उपलब्ध कराया जाता है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि निर्धन वर्ग के विद्यार्थी अब केवल आर्थिक कारणों से अपनी शिक्षा से वंचित नहीं रह जाते।[12]

इस योजना ने न केवल शिक्षा का दायरा बढ़ाया है, बल्कि युवाओं में कौशल विकास और रोजगार की संभावनाओं को भी सुदृढ़ किया है। विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को इसका सीधा लाभ प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना निर्धन वर्ग के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को अधिकार के रूप में साकार करने का प्रयास है, जो राज्य के सामाजिक और आर्थिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

कुशल युवा कार्यक्रम

बिहार राज्य सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से भारत के पिछड़े राज्यों में गिना जाता है, जहाँ निर्धन वर्ग की बड़ी आबादी आजीविका, शिक्षा और कौशल विकास जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रही है। इस वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ चलाई हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक महत्वपूर्ण पहल है "कुशल युवा कार्यक्रम", जिसे वर्ष 2016 में शुरू किया गया। यह कार्यक्रम विशेष रूप से उन युवाओं के लिए बनाया गया है जो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए हैं या जिन्हें रोजगार के लिए आवश्यक कौशल की कमी है।[13]

कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत 15 से 28 वर्ष आयु वर्ग के निर्धन और बेरोजगार युवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी (IT), संचार कौशल (Communication Skills) और जीवन कौशल (Life Skills) की निःशुल्क प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। प्रशिक्षण का उद्देश्य युवाओं को रोजगारोन्मुखी बनाना तथा उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर करना है। साथ ही, यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के युवाओं के बीच डिजिटल साक्षरता और आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रही है।[14]

इस कार्यक्रम की विशेषता यह है कि यह न केवल रोजगार के अवसरों को बढ़ाता है, बल्कि निर्धन वर्ग के युवाओं में सामाजिक-आर्थिक समावेशन को भी प्रोत्साहित करता है। इसके माध्यम से बिहार सरकार ने कौशल आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस प्रकार, कुशल युवा कार्यक्रम निर्धन वर्ग के लिए शिक्षा और आजीविका के बीच की खाई को पाटने का प्रयास है, जो बिहार के सतत विकास और विकसित भारत 2047 की परिकल्पना में योगदान देता है।

बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना

बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है जहाँ अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। राज्य की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा कृषि उत्पादन पर आधारित होने के बावजूद यहाँ के छोटे और सीमांत किसान अक्सर प्राकृतिक आपदाओं, अनियमित मानसून, बाढ़ एवं सूखे जैसी परिस्थितियों से गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। ऐसी स्थितियों में निर्धन वर्ग के किसानों की आर्थिक स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। इन समस्याओं से निपटने और किसानों को स्थायी सहारा प्रदान करने हेतु बिहार सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ चलाई जाती हैं, जिनमें बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना विशेष महत्व रखती है।[15]

इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करना है। जब बाढ़, वर्षा की कमी या अन्य कारणों से फसलें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तब इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को कृषि इनपुट (बीज, खाद, कीटनाशक आदि) की लागत के लिए अनुदान दिया जाता है। इससे किसानों को पुनः खेती शुरू करने में सहायता मिलती है और उनकी आय में स्थिरता बनी रहती है। विशेषकर निर्धन और सीमांत किसानों के लिए यह योजना आर्थिक सुरक्षा का माध्यम बनती है।[16]

यह योजना न केवल किसानों को तात्कालिक आर्थिक राहत देती है, बल्कि राज्य में कृषि उत्पादन और खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होती है। साथ ही, यह ग्रामीण समाज में निर्धन वर्ग के जीवन स्तर को सुधारने और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना

बिहार राज्य में निर्धन वर्ग के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ चलाई जाती हैं, जिनका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सहारा और जीवन स्तर में सुधार करना है। इन योजनाओं में से एक महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना है, जो विशेष रूप से वृद्ध और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए बनाई गई है। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को नियमित मासिक पेंशन उपलब्ध कराकर उनकी आजीविका को सुरक्षित करने और जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है।[17]

इस योजना का मुख्य लक्ष्य उन वृद्ध व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, जिनके पास कोई स्थायी आय का स्रोत नहीं है। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को एक निश्चित राशि मासिक रूप से उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, बल्कि उन्हें स्वास्थ्य, भोजन और अन्य आवश्यक खर्चों के लिए वित्तीय सहायता भी मिलती है।[18]

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को आयु, निवास और आर्थिक स्थिति जैसे मानदंडों को पूरा करना होता है। इसके माध्यम से राज्य सरकार समाज के कमजोर वर्ग के वृद्ध नागरिकों को सम्मानजनक और स्वतंत्र जीवन जीने का अवसर प्रदान करती है। इसके अलावा, यह योजना गरीबी उन्मूलन और सामाजिक समावेशन की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।[19]

इस प्रकार, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना न केवल आर्थिक मदद प्रदान करती है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा की भावना को मजबूत करने में भी सहायक है। यह योजना बिहार में वृद्ध और निर्धन नागरिकों के जीवन में स्थायी बदलाव लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुकी है।

विश्लेषण

बिहार राज्य में निर्धन वर्ग के लिए विभिन्न सरकारी योजनाएँ समाज के कमजोर और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। उदाहरण स्वरूप, प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत निर्धन परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराए जाते हैं, जबकि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) वृद्धावस्था, विकलांगता और विधवा लाभ जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करता है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री रोजगार योजना और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) जैसी योजनाएँ आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से गरीबी घटाने में सहायक हैं।

इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन स्थानीय प्रशासन, पंचायत और जिला स्तर पर निगरानी के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। हालांकि, कई बार लाभार्थियों तक योजनाओं का सही लाभ पहुँचाने में अभाव और भ्रष्टाचार जैसी चुनौतियाँ सामने आती हैं। इसके बावजूद, इन योजनाओं ने गरीब वर्ग के जीवन स्तर में सुधार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उदाहरण के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं ने बच्चों के स्कूल जाने की दर और गरीब परिवारों की स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच को बढ़ाया है।[20]

संक्षेप में, बिहार में निर्धन वर्ग के लिए सरकारी योजनाएँ सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक उपकरण हैं। यदि इनका अधिक पारदर्शी और सटीक क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, तो ये योजनाएँ गरीबी उन्मूलन, सामाजिक समरसता और आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इन योजनाओं का अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि सरकारी प्रयासों और सामुदायिक सहभागिता के संयोजन से गरीब वर्ग के जीवन में स्थायी सुधार संभव है।

निष्कर्ष

बिहार राज्य में निर्धन वर्ग के लिए लागू सरकारी योजनाओं का अध्ययन यह दर्शाता है कि राज्य ने सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए अनेक पहल की हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना, और स्वास्थ्य बीमा जैसी योजनाओं ने निर्धन परिवारों को बुनियादी जरूरतों, रोजगार, स्वास्थ्य और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि इन योजनाओं का प्रभाव दो प्रकार से देखा जा सकता है। एक ओर, योजनाओं के माध्यम से निर्धन वर्ग के लोगों को घर, भोजन, रोजगार और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार हुआ है। दूसरी ओर, इन योजनाओं के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार, जागरूकता की कमी और लाभार्थियों की पहुँच में असमानता जैसी चुनौतियाँ सामने आई हैं।

विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को लक्षित योजनाओं, जैसे बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री बालिका समृद्धि योजना, और छात्रवृत्ति योजनाओं ने समाज में लैंगिक समानता और शिक्षा के महत्व को बढ़ावा दिया है । इसके अलावा, डिजिटल माध्यमों के माध्यम से योजनाओं की पहुँच और निगरानी को बेहतर बनाने के प्रयास भी किए गए हैं।

अंततः यह निष्कर्ष निकलता है कि बिहार में निर्धन वर्ग के उत्थान के लिए सरकारी योजनाएँ प्रभावशाली रही हैं, लेकिन उनके पूर्ण लाभ के लिए बेहतर निगरानी, पारदर्शिता और सामाजिक जागरूकता आवश्यक है । योजनाओं के सुधार और व्यापक क्रियान्वयन से ही निर्धन वर्ग की स्थिति में स्थायी और सार्थक सुधार संभव है । कुल मिलाकर, ये सरकारी प्रयास निर्धन वर्ग को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से सशक्त बनाने में सहायक साबित हो रहे हैं।

सन्दर्भ-सूची

1. De Haan, A. (2002). Migration and livelihoods in historical perspective: A case study of Bihar, India. Journal of development studies, 38(5), 115-142
2. किंग, एलीज़ाबेथ एम. (1990). एडुकेटिंग गर्ल्स एंड वुमेन: इन्वेस्टिंग इन डेवेलोपमेंट, वॉशिंग्टन, डीसी
3. गोस्वामी, एल. (2013). एडुकेशन फॉर वुमेन एमपावरमेंट. अभिव्यक्तिः एनुअल जर्नल 1, pp. 17-18.
4. झा, जे., घटक, एन., मेनॉन, एन., दत्ता, पी., एवं महेंदिरन, एस. (2019). वोमेंस एडुकेशन एंड एम्पोवेरमेंट इन रुरल इंडिया. रौलेज.
5. दत्ता, उपमन्यु. (2015) "सोसीओ-एकोनोमिक इंपेक्ट ऑफ जीविकाः ए लार्ज स्केल सेल्फ-हेल्प ग्रुप प्रोजेक्ट इन बिहार, इंडिया." वर्ल्ड डेवेलोपमेंट 68. 1-18.1
6. शर्मा, गिरेन्द्र. (2018) "साइकल योजना एंड रुरल वुमेन इमपोवेरमेंटः ए केस स्टडि ऑफ बिहार" इंटरनेशनल ज्पुर्नल ऑफ बेसिक अप्लाइड रिसर्च.
7. सनयाल, परोमिता, विजयेन्द्र राव, एंड श्रुति मजूमदार, (2015). रिकास्टिंग कल्चर टू अनडु जेंडर: ए सोसीओलोजीकल एनालिसिस ऑफ जीविका इन रुरल बिहार, इंडिया. द वर्ल्ड बैंक
8. Kumari B. Impact of poverty elimination programmes in India: with special reference to Bihar.
9. Shah M. Eliminating poverty in Bihar: paradoxes, bottlenecks and solutions. Econ Polit Wkly. 2016;56-65.
10. Shah M. Eliminating poverty in Bihar: Paradoxes, bottlenecks and solutions. Economic and Political Weekly; 2016, p. 56-65.
11. Singh RK, Singh KM, Kumar A. Socio-economic characterization of rural households: a village level analysis in Bihar, India; 2015 Feb 21.
12. Singh KM, Meena M, Singh R, Kumar A. Dimensions of poverty in Bihar. SSRN Electron J. 2011. Available from: https://ssrn.com/abstract=2017506
13. Nayak P. Poverty and environmental degradation in rural India: A nexus. In: Annual Conference of the Northeastern Economic Association; 2010.
14. Kumari V, Singh RKP. Fragile human capital causes poverty in North Bihar: some empirical evidences. Agric Econ Res Rev. 2009;22(1):99-108.
15. Domfeh KA, Bawole JN. Localizing and sustaining poverty reduction: experiences from Ghana. Int J Manag Environ Qual. 2009;20(5):490-505. https://doi.org/10.1108/14777830910981186
16. Haughton JH, Khandker SR. Handbook on poverty and inequality. Washington (DC): World Bank; 2009.
17. कुमार, एस. (2025) वुमेन एम्पोवेरमेंट: एविडेन्स फ्रोम इंडियन एंड अफ्रीकन एडुकेशनल सिस्टम (ए केस स्टडि ऑफ बिहार एंड सुडान. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लिटेरसी एंड एडुकेशन; 5(1):20-26. https://doi.org/10.22271/27891607.2025.v 5.i1a.247
18. Economic survey 2019-20, Government of Bihar, Page -4, Chapter-1, Bihar Economy: An Overview.
19. NITI Aayog, National Multidimensional Poverty Index, Baseline Report, Based on National Family Health Survey - 4 (2015-2016), Oxford Poverty & Human Development Initiative, UNDP.
20. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (NSSO) 2022-23.